भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 639

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

भारतीय दंड संहिता की धारा 406/498क का दुरुपयोग

639. श्री दिलीपभाई पंडया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैवाहिक विवाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/498क का दुरुपयोग किया गया है;
(ख) यदि हां, तो सरकार कौन-से कदम उठा रही है ताकि कानून का दुरुपयोग न किया जा सके;
(ग) गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 406/498क के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की दर क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) : इस मंत्रालय को वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498क के दुरुपयोग के संबंध में अनेक अभ्यावेदन और समाचार रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों की बढ़ रही संख्या न्यायालयों के भी ध्यान में आई है जिनमें इस धारा का दुरुपयोग किया गया है।

(ख) : भारत सरकार ने इस संबंध में मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन और शीर्षस्थ न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उपयुक्त परामर्शी-पत्र जारी किए हैं।

(ग) और (घ) : गुजरात राज्य में वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत दर्ज मामलों और ऐसे मामलों में दोषसि द्धि की दर का ब्यौरा, जैसा कि अभी तक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सूचित किया गया है, अनुलग्नक-। में दिया गया है।

*****

गुजरात राज्य के संबंध में वर्ष 2011 से 2013 के दौरान पति अथवा उसके संबंधियों के द्वारा निर्दयता (आईपीसी की धारा 498क) के अधीन दर्ज मामलों की संख्या (सीआर), आरोप-पत्र दायर किए गए मामले (सीएस), दोष सिद्ध वाले मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्र दायर किए गए व्यक्ति (पीसीएस), दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी), तथ्यों अथवा कानून की गलती के कारण गलत पाए गए मामले (एफएल) और दोष सिद्धि की दर (सीवीआर)

2011							
सीआर	**सीएस**	**सीसीवी**	**पीएआर**	**पीसीएस**	**पीसीवी**	**एफएल**	**सीवीआर**
6052	6001	69	18141	18150	198	12	2.6

2012							
सीआर	**सीएस**	**सीसीवी**	**पीएआर**	**पीसीएस**	**पीसीवी**	**एफएल**	**सीआर**
6658	6522	110	19982	19638	299	09	3.5

2013							
सीआर	**सीएस**	**सीसीवी**	**पीएआर**	**पीसीएस**	**पीसीवी**	**एफएल**	**सीआर**
7812	7690	79	24611	24494	284	07	2.3

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

*****